न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 2430-तीन/2014 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 19-05-2014 पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा - प्रकरण कमांक 147/2011-12 अ-12 अपील

राम निरंजन पुत्र सुदर्शन प्रसाद
ग्राम कुइया तहसील हुजूर जिला रीवा ---आवेदक

विरूद्ध

रामरसीले मिश्रा पुत्र सुदर्शन प्रसाद
निवासी ग्राम कुईया तहसील हुजूर जिला रीवा ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री महेश द्विवेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री प्रमोद मिश्रा)

आ दे श

(आज दिनांक 11-8-2017 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 147/2011-12 अ-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-5-14 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने नायव तहसीलदार वृत्त बनकुईया को आवेदन देकर बताया कि ग्राम कुईया स्थित भूमि सर्वे नंबर 294/1 एंव 295/2 के अंश रकबा से 10 फुट चौड़ा रास्ता है जो नक्शा एंव खसरा में दर्ज कराया जाय। नायव तहसीलदार वृत्त बनकुईया ने प्रकरण कमांक 2 अ-13/11-12 पॅजीबद्ध किया तथा जांच कार्यवाही उपरांत पक्षकारों को

सुनकर आदेश दिनांक 28-6-12 पारित किया तथा अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। अनावेदक द्वारा इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने प्रकरण कमांक 147/2011-12 अ-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-5-14 से नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 28-6-12 में हस्तक्षेप न करते हुये निर्देश जारी किये कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में स्थल निरीक्षक कर, मौके की स्थिति अनुसार साक्ष्य लेकर रूढ़ि एंव सुविधा के साथ जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव लेखी बहस के तथ्यों तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने आदेश दिनांक 19-5-14 में विवेचित किया है कि नायव तहसीलदार ने आदेश पारित करते समय पुराने रास्ते के सम्बन्ध में कोई विवेचना नहीं की है । इसी प्रकार मौके की साक्ष्य लिये बिना तथा पटवारी प्रतिवेदन की समीक्षा किये बिना आदेश पारित किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने वास्तविक स्थिति जानने के उद्धेश्य से स्थल निरीक्षक कर, मौके की स्थिति अनुसार साक्ष्य लेकर रूढ़ि एंव सुविधा की जांच कर वास्तविकता पर अधारित प्रतिवेदन नायव तहसीलदार से मॉगा है। इस संबंध में आवेदक के अभिभाषक की आपत्ति है कि अनुविभागीय अधिकारी को अपील स्वीकार करना चाहिये थी अथवा अस्वीकार । मामला प्रतिप्रेषित नहीं किया जा सकता। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के आदेश दिनांक 19-5-14 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने मामला नायव तहसीलदार को निराकृत करने के लिये प्रत्यावर्तित

नहीं किया है अपितु अपील का अंतिम निराकरण न करते हुये वास्तविकता पर आधारित जांच प्रतिवेदन मॅगाया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 सॅशोधन अधिनियम 2011 कमांक 42 के द्वारा धारा 49 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन किया गया है जिसके अनुसार प्रावधान है कि अपील न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा या आवश्यक होने पर अतिरिक्त साक्ष्य लेगा। स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अतिरिक्त साक्ष्य के उद्वेश्य से एंव स्थल जॉच के उद्वेश्य वावत् नायव तहसीलदार को निर्देश दिये है अपितु नायव तहसीलदार को मामला विनिश्चित करने हेतु प्रत्यावर्तित नहीं किया है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी हुजूर द्वारा जारी निर्देश दिनांक 19-5-14 में त्रृटि नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 147/2011-12 अ-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-5-14 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर